

आज दिनांक 04.02.2024 को \*अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन\*, गोरखपुर \*डॉ० के०एस० प्रताप कुमार\* पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती \*श्री आर०के० भारद्वाज\* के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* के मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

**\*थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार\***

आज दिनांक 04.02.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना महुली \*श्री सतीश सिंह\* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु०अ०सं० 587/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राशिदा खातून पत्नी मो० लैश निवासी छपरा मगर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण\***

राशिदा खातून पत्नी मो० लैश निवासी छपरा मगर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

**\*आपराधिक इतिहास:-\***

- 1- मु०अ०सं० 587/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
- 2- मु०अ०सं० 117/ 23 धारा 363/366/506/109 भादवि० थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम\***

प्रभारी निरीक्षक थाना महुली श्री सतीश कुमार सिंह, का० अरमान खान, का० दुर्गेश यादव, म०का० पूजा गौतम।

आज दिनांक 04.02.2024 को \*अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन\*, गोरखपुर \*डॉ० के०एस० प्रताप कुमार\* पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती \*श्री आर०के० भारद्वाज\* के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* के मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

**\*थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल \*श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर\* के पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला \*सूश्री सरोज शर्मा\* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु०अ०सं० 28/2024 धारा 498ए / 304बी भादवि व 3/4 डी०पी० एक्ट में वांछित अभियुक्त हसमुद्दीन पुत्र गयासुद्दीन निवासी अमरकोईल थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को बेलवा सेगर से रुधौली जाने वाली मार्ग से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए काफी समय से प्रताड़ित कर रहे थे दहेज की मांग पूरी न करने पर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 31.01.2024 को वादी की पुत्री की गला घोटकर हत्या कर दिया गया था जिस संबन्ध में वादी द्वारा थाना बेलहरकला पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध घटित होने पर थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम लगायी गयी थी आज दिनांक 04.02.2024 को थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरण:-\*** प्रभारी निरीक्षक सूश्री सरोज शर्मा, उ०नि० श्री अर्जुन प्रसाद, हो०का० शम्स तबरेज सिद्दीकी, का० राकेश कुमार गोंड।

**\*जनपद – संतकबीरनगर\***

**\*प्रेस विज्ञप्ति\***

**\*दिनांक 04.02.2024\***

आज दिनांक 04.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर \*डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार\* पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती \*श्री आर0के0 भारद्वाज\* के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य-

**\*पीआरवी आफ द डे\***

**\*पीआरवी 3314 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल-**\* पीआरवी 3314 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत सोनौरा मोड़ से इवेन्ट संख्या 10514 से कालर द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति की सूचना पर (सुधाकर यादव जनपद महाराजगंज) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

**\*पीआरवी स्टाफ-\* आ0 जगदीश कुमार, हो0चा0 विनोद पाण्डेय।**

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 46 वाहनों से 69,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 04.02.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 46 वाहनों से 69,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

**\*जनपद - संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 04.02.2024\***

**\*संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 02 स्थान पर लगवाये गये 09 सीसीटीवी कैमरे\***

\*श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर\* द्वारा चलाये जा रहे \*आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान\* के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* के निर्देशन में आज दिनांक 04.02.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 02 स्थान पर 09 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। \*थाना कोतवाली खलीलाबाद\* पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 05 कैमरें, \*थाना दुधारा\* पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरूर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

**\*पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा विभिन्न आपराधिक मामलों में लंबे समय से फरार / वांछित 03 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई पुरस्कार की घोषणा\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* द्वारा संगीन आपराधिक मामलों में लंबे समय से फरार / वांछित 03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु इनाम घोषित किया गया है। ये सभी अपराधी आपराधिक गतिविधियों में अलग-अलग प्रकरणों में शामिल हैं, वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए इन पर इनाम भी घोषित किया गया है। थाना धनघटा के 03 अभियुक्त शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया है कि इन अपराधियों के संबंध में जो कोई व्यक्ति पुलिस को सूचना देगा या दस्तयाब कराने में पुलिस का सहयोग करेगा, उस व्यक्ति को वांछित अपराधी के नाम के अनुसार नगद राशि पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

**\*वांछित अपराधियों का नाम व उन पर घोषित इनाम का विवरण-\***

**\*थाना धनघटा-\***

1- अभियुक्त कियामत पुत्र मियाज उर्फ नियाज निवासी कपड़िया थाना घोसी जनपद मऊ।

\*घोषित पुरस्कार की धनराशि:-\* 20,000 रुपये।

**\*आपराधिक इतिहास:-\***

i-मु0अ0सं0 446 / 2021 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना धनघटा जनपद सं0क0न0।

ii- मु0अ0सं0 337/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना धनघटा जनपद सं0क0न0।

2- अभियुक्त इम्तियाज उर्फ हिमताज पुत्र रफी उर्फ रफीक निवासी मैली थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर।

\*घोषित पुरस्कार की धनराशि:-\* 20,000रुपये।

**\*आपराधिक इतिहास:-\***

i-मु0अ0सं0 446/2021 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना धनघटा जनपद सं0क0न0।

ii- मु0अ0सं0 733/2022 धारा 323/504/506/325 भा0द0वि0 थाना धनघटा जनपद सं0क0न0।

iii-मु0अ0सं0 90/18 धारा 379 भा0द0वि0 थाना धनघटा जनपद सं0क0न0।

iv- मु0अ0सं0 293/19 धारा 307 भा0द0वि0 थाना धनघटा जनपद सं0क0न0।

v- मु0अ0सं0 294/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना धनघटा जनपद सं0क0न0।

vi- मु0अ0सं0 296/19 धारा 5 विस्फोटक अधिनियम थाना धनघटा जनपद सं0क0न0।

vii- मु0अ0सं0 379/18 धारा 174ए भा0द0वि0 थाना धनघटा जनपद सं0क0न0।

vii- मु0अ0सं0 387/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धनघटा जनपद सं0क0न0।

ix- मु0अ0सं0 511/19 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना धनघटा जनपद सं0क0न0।

x- मु0अ0सं0 296/2010 धारा 379/506 भा0द0वि0 थाना धनघटा जनपद सं0क0न0।

xi- मु0अ0सं0 338/13 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना धनघटा जनपद सं0क0न0।

xii- मु0अ0सं0 295/19 धारा 41/411 भा0द0वि0 थाना धनघटा जनपद सं0क0न0।

xiii- मु0अ0सं0 337/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना धनघटा जनपद सं0क0न0।

3- अभियुक्त अजय गुप्ता पुत्र बलराम गुप्ता निवासी बैकुण्ठपुर थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर।

\*घोषित पुरस्कार की धनराशि:-\* 20,000रुपये।

**\*आपराधिक इतिहास:-\***

i-मु0अ0सं0 156/2023 धारा 413 भादवि थाना धनघटा जनपद सं0क0न0।

ii- मु0अ0सं0 691/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना धनघटा जनपद सं0क0न0।